




पूर्व मध्य रेल  
समस्तीपुर मंडल  
(पेंशन अदालत अधिसूचना 2023)



रेलवे बोर्ड का पत्र सं० E(W)/2023/PA/2 दिनांक-03.05.2023 के परिप्रेक्ष्य में समस्तीपुर मंडल द्वारा पेंशन परिवादों के निष्पादन हेतु दिनांक-17.05.2023 (बुधवार) को 16:00 बजे से ऑन लाईन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत-2023 का आयोजन किया जाना, सुनिश्चित किया गया है।

ऑन लाईन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपने पेंशन से संबंधित परिवाद का पूरा विवरण निम्न प्रारूप में भर कर मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर को दिनांक-16.05.2023, समय 14:00 तक प्रेषित किया जा सकता है-

**आवेदन का प्रारूप**

01. आवेदक का नाम :-
02. भू0पू0 कर्मचारी का नाम:-
03. पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल :-
04. भू0पू0 कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध :-
05. वर्तमान पता :-
06. सेवानिवृत्ति की तिथि :-
07. सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य) :-
08. भू0पू0 कर्मचारी की मृत्यु तिथि :-
09. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमान :-
10. सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रण अधिकारी :-
11. पेंशन भुगतान आदेश सं० (P.P.O.No. की स्पष्ट प्रति संलग्न करें) :-
12. पेंशनर की अद्यतन बैंक खाता की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें आई.एफ.एस. कोड एवं खाता संख्या अंकित हो :-
13. परिवाद का विस्तृत विवरण (उपलब्ध साक्ष्य के साथ):-
14. WhatsApp न0-

पेंशन संबंधी परिवाद उपरोक्त प्रारूप में भर कर दिनांक-16.05.2023 को 14:00 बजे तक निम्नलिखित माध्यमों से प्रेषित कर सकते हैं अथवा दिनांक- 17.05.2023 को अपराह्न 16:00 से 18:00 बजे तक सीधे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस Video Web link <https://meet.google.com/foe-xpky-qru> से जुड़ सकते हैं तथा पेंशन संबंधित परिवाद दर्ज करा सकते हैं-

1. (i) WhatsApp No.-7766907596 (SWI/SPJ)  
(ii) Email ID- [pensionadalatspj@gmail.com](mailto:pensionadalatspj@gmail.com)

2. By Hand - एकल खिड़की व्यवस्था {मरेप्र (कार्मिक) कार्यालय/समस्तीपुर}

वैसी शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तों एवं वेतन बढ़ोत्तरी आदि का पेंशन अदालत के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।

नोट:- जिन रेल कर्मचारियों की पेंशन सारांशीकरण (कम्प्यूटेशन) की तिथि से सेवानिवृत्ति की 15 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है पूरी होने पर पेंशन के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरक पदाधिकारी (अर्थात् बैंक/डाकघर आदि) से सीधे सम्पर्क करें।

(दिलीप पासवान)

मंडल कार्मिक अधिकारी  
कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)  
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर  
दिनांक-12.05.2023

संख्या: का/207/समापक भुगतान/पेंशन अदालत 2023/XIII/2023  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर को सादर सूचनार्थ।
02. निजी सचिव-I /मरेप्र- मरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
03. गोपनीय सहायक/ अमरेप्र I एवं अमरेप्र II- अमरेप्र I एवं अमरेप्र II महोदय के सादर सूचनार्थ।
04. वमविप्र/सम0।
05. वमवाप्र/सम0- वे कृपया इसका प्रकाशन स्थानीय समचार पत्रों में कराये जाने की व्यवस्था करें।
06. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकोष्ठ - वे कृपया इसे वेबसाईट पर अपलोड करें।
07. कार्याधी/ईजीआरएस सेल।
08. ककनि/समापक भुगतान/सम0मंडल कार्यालय में - कृपया सभी बीट निरीक्षक को प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित करें।
09. मंडल मंत्री - ईसीआरकेयू अजा- अजजा एवं पेंशनर एशो0/समस्तीपुर मंडल।
10. सूचना पट्ट।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)  
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर